न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

डिक्री

वाद संख्या	129/14	धारा अंतर्गत 188 IPC	निर्णय दिनांक 27/6/2015
समक्ष :-	श्री चिमन लाल मीणा RAS		
उपस्थिति :- अभिभाषक वादी	—	अभिभाषक प्रतिवादी	राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट

वाद शीर्षक

(1) भवर लाल पुत्र बिहारी (2) राम प्रसाद पुत्र पिलाई जाति-मीणा निवासीगण मोलवाड़ा ऊंचा (वादी)

(1) मूलचन्द पुत्र (2) हीरालाल पुत्र (3) हरलाल पुत्रगण (4) बाबूलाल पुत्र मगनलाल (5) रामचरण पुत्र देवीलाल (6) प्रेम नारायण पुत्र देवीलाल समस्त जाति-मीणा निवासीगण मोलवाड़ा ऊंचा तह. छबड़ा (प्रतिवादीगण)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरुप डिक्री निर्गत की जाती है कि राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मजमून आम सुलह जेपला पर वादीगण का वाद स्वीकार किया वादीगण के काश्तकारी खाते की आराजी ग्रा. मोलवाड़ा ऊंचा खसरा नम्बर 218/113 पर अभि. स्वाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है। वादीगण के खाते बाबजे काश्त की आराजी में दखल अन्दाजी नहीं करे। तदनुसार डिक्री पत्रावली अस्थिर

साथ ही निम्नानुसार.....0.....रु. का व्ययानुतोष.....0.....द्वारा.....को प्रदान किया जाए

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक.....27/6/15.....को निर्गत किया गया।

27/6/15

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज(%)		
	योग		